

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/30746

दिनांक 29 मार्च, 2020

:: आदेश ::

कोविड-19, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो तथा "The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957" में प्रदत्त शक्तियो तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, क्रमांक: एफ.9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 से प्रदत्त शक्तियो के तहत होटल भाग्योदय, सुभाष मार्केट, भीलवाड़ा के भवन एवं परिसर को निम्नलिखित शर्तो के अधीन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित किया जाता हैं तथा उपलब्ध समस्त संसाधन/सुविधाओ सहित अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को सुपुर्द की जाती हैं।

शर्तें -

1. अधिग्रहित भवन/परिसर के प्रबन्धक/संचालक द्वारा स्वयं अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा अथवा उनके प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होकर अधिग्रहित भवन एवं परिसर की सुपुर्दगी के समय एवं अधिग्रहित अवधि के दौरान नियमित रूप से बिजली, पानी आदि आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जावेगी।
2. आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा चिकित्सा अधिकारियो के निर्देशन में अधिग्रहित भवन एवं परिसर की दैनिक साफ-सफाई करवाये जाने की सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही स्वयं द्वारा दैनिक रूप से अधिग्रहित भवन की साफ-सफाई का सत्यापन किया जावेगा।
3. अधिग्रहित भवन एवं परिसर को पुनः सुपुर्दगी के समय चिकित्सा विभाग द्वारा वि-संक्रमित करने के उपरान्त ही संबंधित को सुपुर्द किया जावेगा।

संबंधित होटल के प्रबंधक/संचालक को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता/देरी नहीं की जावे। अधिग्रहित भवन, परिसर एवं संसाधनो का कब्जा आज ही अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा अथवा उनके प्रतिनिधि को सुपुर्द किया जावे। उक्त आदेश की पालना का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, सचिव नगर विकास न्यास एवं आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा का होगा।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे।



(राजेन्द्र भट्ट)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर

6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराने हेतु।
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा (All Over Incharge)
10. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही/व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर अवगत करावे।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा
को पालनार्थ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा तथा सभी संबंधित से सम्पर्क एवं समन्वय कर आदेशानुसार कार्यवाही तत्काल कराने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को समन्वय एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशानुसार पालना हेतु।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
15. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
17. प्रबन्धक एवं संचालक, होटल भाग्योदय, सुभाष मार्केट, भीलवाड़ा द्वारा सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा/आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा


 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
 भीलवाड़ा